संख्या- 2/2307 सी0डी0/46-3-14-3-(35)/2013टी0सी0

प्रेषक

राम मोहन सक्सेना
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 19 सितम्बर, 2014

विषय-प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2013-14 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र/निगम की चीनी मिलों को रू0 6/- प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता/रियायतें प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के कृषकों को पेराई सत्र 2013-14 का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु निजी क्षेत्र/निगम की चीनी मिलों को रू0 6/- प्रति कुन्टल की दर से अनुमन्य अतिरिक्त सहायता/रियायतें प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जाने हेतु रू0- 1,00,00,00,000/- (रू0 सौ करोड़ मात्र) की धनराशि राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उपरोक्त व्यय अत्यन्त आवश्यक एवं अपरिहार्य है तथा इसके लिये चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं है। अतएव श्री राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य आकस्मिकता निधि से रू0-1,00,00,00,000/- (रू0 सौ करोड़ मात्र) की धनराशि अग्रिम आहरित कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त आहरित अग्रिम धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक के माध्यम से की जायेगी। स्वीकृत धनराशि दिनांक 31-10-2014 तक प्रत्येक दशा में व्यय की जानी आवश्यक है।

3- उक्त धनराशि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जा रहा है उसी के लिये किया जायेगा तथा इसका किसी भी दशा में अन्य किसी प्रयोजन में व्यय नहीं किया जायेगा। ऐसा व्यय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या अन्य कोई सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति नियमानुसार आवश्यक हो तो इसके लिये पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

4- उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय प्रथमत: लेखा शीर्ष "8000-आकस्मिकता निधि-201-समेकित निधि से विनियोजन" के नामे और अन्तत: आय-व्ययक के अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के लेखा शीर्ष "2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-आयोजनेत्तर-201-चीनी-07-प्रदेश के कृषकों को गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु चीनी मिलों को अतिरिक्त सहायता/रियायत की प्रतिपूर्ति-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के सी0एफ0 संख्या-10/अशासकीय संख्या-ई-6-540/दस-2014 दिनांक 19 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

.....2

http://shasanadesh.up.nic.in

वित्त विभाग का पृष्ठांकन
सी0एफ0 संख्या-10/संख्या-ई-6-540/दस-2014 दिनांक 19 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपि, महालेखाकार (रिपोर्ट ब्रान्च) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

(अविनाश चन्द्र द्विवेदी)
उप सचिव।

संख्या-2307(1)सी0डी0/46-3-14-3-(35)/2013टी0सी0, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा हकदारी), प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफिसर, (आडिट प्लानिंग), कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6,
9- नियोजन अनुभाग-4,
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in